

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 532]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 30, शक 1938

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2016

क्र. 314-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18 दिसम्बर 2016 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

#### मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३१ सन् २०१६

#### मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( द्वितीय संशोधन ) अधिनियम, २०१६

[ दिनांक १८ दिसम्बर, २०१६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २१ दिसम्बर, २०१६ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

संक्षिप्त नाम.

भाग-एक

#### मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ ( क्रमांक २३ सन् १९५६ ) का संशोधन

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ ( क्रमांक २३ सन् १९५६ ) की धारा १७ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ण) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अर्द्ध विराम स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश अधिनियम  
क्रमांक २३ सन्  
१९५६ का संशोधन.

“(त) जिसके आवासीय परिसर में फ्लश शौचालय या जलवाहित शौचालय नहीं है.”

## भाग-दो

## मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ ( क्रमांक ३७ सन् १९६१ ) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम  
क्रमांक ३७ सन्  
१९६१ का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ ( क्रमांक ३७ सन् १९६१ ) की धारा ३५ में, खण्ड (ध) में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (आठ) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अर्द्ध विराम स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“(न) जिसके आवासीय परिसर में फ्लश शौचालय या जलवाहित शौचालय नहीं है.”

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2016

क्र. 314-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 31 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

## MADHYA PRADESH ACT

No. 31 OF 2016

**THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (DWITIYA SANSHODHAN)  
ADHINIYAM, 2016.**

[Received the assent of the Governor on the 18<sup>th</sup> December, 2016; assent first published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)”, dated the 21<sup>st</sup> December, 2016.]

**An Act further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-seventh year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2016.

## PART—I

**AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION  
ACT, 1956 (No. 23 of 1956)**

Amendment to the  
Madhya Pradesh  
Act No. 23 of 1956.

2. In Section 17 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), in sub-section (1), in clause (o), for full stop, the semi colon shall be substituted and thereafter the following clause shall be added, namely :—

“(p) does not have flush latrine or pour flush latrine in his residential premises.”.

## PART—II

**AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES  
ACT, 1961 (No. 37 of 1961)**

Amendment to the  
Madhya Pradesh  
Act No. 37 of 1961.

3. In Section 35 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), in clause (s), in explanation, in clause (viii), for full stop, the semi colon shall be substituted and thereafter the following clause shall be added, namely :—

“(t) does not have flush latrine or pour flush latrine in his residential premises.”.